आदेश

दिनांक– 22.08.2023 को बिहार पुलिस केन्द्रीय प्रशासी समिति की बैठक के वृत की कंडिका–5 एंव 6 में समिति द्वारा सक्रिय रूप से पुलिस पदाधिकारियों एंव कर्मियों का कर्त्तव्य के दौरान मृत्यु यथा उग्रवादी मुठभेड/अपराधिक मुठभेड/हिंसा/बारूदी सुरंग/नक्सली हमला/दंगा/दुर्घटना/छापामारी के दौरान मृत्यु तथा उक्त घटना में घायल होने पर ईलाज के कम में मृत्यु होने पर आश्रित को 25 लाख रूपये एक मुस्त अनुदान राशि चेक/बैंक खाता के माध्यम से भुगतान करने का निर्णय लिया गया। आत्महत्या की स्थिति में अनुदान देय नहीं होगा। इसका लाभ बिहार पुलिस के सिपाही, हवलदार, लिपिक, स0अ0नि0, पु0अ0नि0, पु0नि0, बिहार पुलिस सेवा के पदाधिकारियों एंव भारतीय पुलिस सेवा के सभी पुलिस पदाधिकारियों को प्राप्त होगा। अनुदान हेतु अंशदान राशि सभी पदाधिकारियों/कर्मियों के वेतन से निम्नांकित तालिकानुसार वार्षिक अगस्त माह के वेतन से कटौती की जायेगी, जिसे बल विवरणी (पदवार) के साथ अवैतनिक सचिव, बिहार पुलिस परोपकारी कोष के बैंक खाता संख्या–10839123888 में जमा किया जायेगा और उपरोक्त अंशदान परोपकारी कोष के अंशदान के अतिरिक्त होगा। उक्त अनुदान हेतु अंशदान की अद्यतन कटौती अनिवार्य होगी। अंशदान राशि की कटौती करने की जिम्मेवारी संबंधित नियंत्रण पदाधिकारी/निकासी एंव व्ययन पदाधिकारी की होगी तथा परोपकारी कोष से मिलने वाले उपरोक्त अनुदान 25 लाख रूपये एक मुस्त के अलावे अन्य किसी प्रकार का लाभ बिहार पुलिस सेवा के पदाधिकारी एंव भारतीय पुलिस सेवा के पदाधिकारी को देय नहीं होगा।

क0 सं0	पद का नाम	अंशदान राशि वार्षिक	लाभ
1.	सिपाही	400/–रूपया	कर्त्तव्य के दौरान मृत्यु होने पर आश्रित को 25 लाख रूपये एक मुश्त अनुदान राशि चेक/बैंक खाता के माध्यम से भुगतान की जायेगी।
2.	हवलदार	400/–रूपया	
3.	लिपिक	400/–रूपया	
4.	स0अ0नि0 एंव समकक्ष	1000/–रूपया	
5	पु0अ0नि0 एंव समकक्ष	1000/–रूपया	
6	पु0नि0 एंव समकक्ष	1000/–रूपया	
7	बिहार पुलिस सेवा के पदाधिकारी	2000/–रूपया	
8	भारतीय पुलिस सेवा के पदाधिकारी	3000/–रूपया	

इसकी शुरूआत समस्तीपुर जिलान्तर्गत मोहनपुर ओ0पी0 प्रभारी पु0अ0नि0 नंद किशोर यादव, समस्तीपुर जिलाबल के छापामारी के दौरान शहीद होने पर उनके आश्रित को उपरोक्त लाभ देकर किया जाय। अन्य मामले में आदेश निर्गत की तिथि से लाभ देय होगा।

तदनुसार अनुपालन सुनिश्चित किया जाए।

इस पर पुलिस महानिदेशक, बिहार का अनुमोदन प्राप्त है।

28.8.23

सहायक पुलिस महानिरीक्षक (कल्याण)
बिहार, पटना।

ज्ञाप संख्या वित्त–2/IV-01-10-2023/ 982

बिहार पुलिस मुख्यालय

(मुख्यालय एंव बजट प्रभाग)

पटना, दिनांक 28.08.2023

प्रतिलिपिः–

1. सभी पुलिस महानिदेशक, बिहार को सादर सूचनार्थ प्रेषित।
2. सभी अपर पुलिस महानिदेशक, बिहार को सूचनार्थ एवं आवश्यक क्रियार्थ प्रेषित।
3. सभी पुलिस महानिरीक्षक, बिहार/सभी पुलिस उप–महानिरीक्षक बिहार को सूचनार्थ एवं आवश्यक क्रियार्थ प्रेषित।
4. पुलिस उप–महानिरीक्षक(कार्मिक), बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक क्रियार्थ प्रेषित।
5. सहायक पुलिस महानिरीक्षक (कल्याण)/निरीक्षण बिहार, पटना बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक क्रियार्थ प्रेषित।
6. सभी वरीय पुलिस अधीक्षक/पुलिस अधीक्षक, रेलवे सहित, बिहार/सभी समादेष्टा, बिहार विशेष सशस्त्र पुलिस, बिहार/ पुलिस अधीक्षक,(वितंतु)/ पुलिस अधीक्षक (अ0)/विशेष शाखा/(सी0)/अपराध अनुसंधान विभाग/मंत्रिमंडल निगरानी/ आर्थिक अपराध इकाई, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक क्रियार्थ प्रेषित।
7. प्राचार्य सी0टी0एस0, नाथनगर/सिमतुल्ला/एम0पी0टी0सी0 डुमराँव/ एम0एम0पी0 आरा/समादेष्टा महिला बटालियन, सासाराम/सवाभिमान बटालियन, बगहा को सूचनार्थ एवं आवश्यक क्रियार्थ प्रेषित।
8. महामंत्री, बिहार, पुलिस एसोसिएशन बिहार, पटना को सूचनार्थ प्रेषित ।
9. महामंत्री/संगठन महामंत्री, बिहार पुलिस मेन्स एसोसिएशन, बिहार, पटना को सूचनार्थ प्रेषित।
10. अध्यक्ष, बिहार पुलिस अनुसचिवीय कर्मचारी संघ, बिहार, पटना को सूचनार्थ प्रेषित।
11. प्रशाखा पदाधिकारी, वित्त–2 प्रशाखा, पुलिस महानिदेशक का कार्यालय, बिहार पटना को सूचनार्थ प्रेषित ।
12. आई0टी0 मैनेजर पुलिस महानिदेशक का कार्यालय, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक क्रियार्थ प्रेषित।

28.8.23

सहायक पुलिस महानिरीक्षक (कल्याण)

बिहार, पटना।